संख्या:462 /21-1-2004-सा0-1(4)/98टी0सी0

प्रेषक,

श्री वी0 के0 मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश।

सेवा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 6 जनवरी, 2005

विषय:- सरकारी कार्यों में कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा उर्दू का प्रयोग।

========

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-4171/21-89-1-1980, दिनांक 07.10.1989, शासनादेश सं0-4865/21-90-1(2)/90, दिनांक 19 नवम्बर, 1990, संख्या-980/21-1-99-1(4)/98, दिनांक 16 मार्च, 1999 तथा 981/21-1-99-1(4)/98, दिनांक 16 मार्च, 1999 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेशों के बावजूद विनिर्दिष्ट सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग की स्थिति संतोषजनक परिलक्षित नहीं हो रही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षा की गयी है।

2- अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग के संबंध में जारी किये गये उक्त आदेशों का निष्ठापूर्वक प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(वी0 के0 मित्तल)
मुख्य सचिव।

संख्या: 462 (1)/21-1-2004-1(4)/98-टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्।
(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(7) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(छेदा लाल)
विशेष सचिव।